

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE - EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(20)/LA-2007/LJ/07/7092

Dated the 13th November, 2007

NOTIFICATION

No.F.14 (20)/LA-2007/ - The following Act of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on the 5th November, 2007 and is hereby published for general information: -

“The Indian Stamp (Delhi Amendment) Act, 2007
(Delhi Act 10 of 2007)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 18th September, 2007).

[5th November, 2007]

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899) as in force in the National Capital Territory of Delhi.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows: -

Short title, extent and
Commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Delhi Amendment) Act, 2007.
- (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- (3) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi may, by notification in the Delhi Gazette, appoint.

2. Amendment of
Schedule 1-A.

In the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899) as in force in the National Capital Territory of Delhi, in Schedule 1-A, for Article No. 23, the following Article shall be substituted, namely:-



Description of Instrument

"23. Conveyance as defined by section 2(10) not being a transfer charged or exempted under No. 62.

Proper Stamp Duty

Three percent of the consideration amount set forth in the Instrument.

Further reduced to two percent in respect of individually/jointly held immovable property by woman/women (Provided that in cases of jointly held immovable property, the reduced rate of stamp duty shall apply only to the share (s) held by woman/women).

Exemption

Assignment of copyright under the Copyright Act, 1957, section 18 CO-PARTNERSHIP-DEED - See Partnership (No. 46) "



(Rakesh Syal)
Joint Secretary (Law, Justice & L.A.)



(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
8वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

सं. फा. 14(20)/एल0ए0-2007/एलजे/07/7042

दिनांक 13th नवम्बर, 2007

अधिसूचना

सं. फा. 14(20)/एल0ए-2007/- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के निम्नलिखित अधिनियम को दिनांक 5 नवम्बर, 2007 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई तथा एतद्वारा उसे सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“ भारतीय मुद्रांक (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2007
(2007 का दिल्ली अधिनियम संख्या 1०)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2007 को यथा पारित)
[5 नवम्बर, 2007]

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यथाप्रवृत्त भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में और आगे संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

इसे भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाये :-

संक्षिप्त शीर्षक विस्तार तथा प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम को भारतीय मुद्रांक (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाये ।
(2) यह समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित है ।
(3) यह उस तिथि से प्रभावी होगा जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, दिल्ली-राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. अनुसूची 1-क का संशोधन ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रवृत्त भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की (1899 का केन्द्रीय अधिनियम-2) अनुसूची 1-क में मद संख्या 23 के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

दस्तावेज का विवरण

“23. धारा 2 (10) द्वारा यथा परिभाषित हस्तांतरण (पत्र) जो अन्तरण प्रभार नहीं है या सं. 62 के अधीन छूट प्रदत्त नहीं है ।

उचित मुद्रांक शुल्क

दस्तावेज में उल्लिखित प्रतिफल राशि का तीन प्रतिशत

महिला/महिलाओं द्वारा व्यक्तिगत/संयुक्त रूप से धारित अचल संपत्ति के संबंध में दो प्रतिशत तक की कमी (उपबंध है कि संयुक्त रूप से धारित अचल संपत्ति के मामलों में मुद्रांक शुल्क की घटी हुई दर महिला/महिलाओं द्वारा धारित भाग पर ही लागू होगी ।)

छूट

कॉपी राइट अधिनियम, 1957 की धारा 18
सहभागिता विलेख- देखिए सहभागिता (46) के
अन्तर्गत कॉपीराइट हस्तांतरण ।"

राकेश स्याल

(राकेश स्याल)
संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)